


CHANGES IN SCHOOL EDUCATION AND NATIONAL EDUCATION POLICY 2020

विद्यालयी शिक्षा में बदलाव एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

Poonam Mishra¹, Jyoti Mathur²✉

¹ Professor, Department of Education, Apex University, Jaipur, Rajasthan, India

² Research Scholar, Department of Education, Apex University, Jaipur, Rajasthan, India



ABSTRACT

English: Since independence, there has been a great change and development in all aspects of Indian education. Changes were made in the Indian education system to strengthen the path of national development in accordance with the needs of the individual and society. The role of school education is very important for the overall development of students. The main objective of this study is to discuss the school education of the recently adopted National Education Policy 2020 in the light of the school education of various education commissions and national education policies after independence in India. The data used in this study has been taken from the reports of the above-mentioned commissions and policies. Apart from these, a lot of information has been taken from published journals, articles, dissertations and research works. Content analysis has been used to conduct this study. All the data has been taken from secondary sources. The findings of this study show that the school education system recently adopted in NEP 2020 is an appropriate example of a modern education system, which is more technology and vocational oriented. Multidisciplinary education, vocational education, mother tongue have been given special importance in school education of NEP 2020. All commissions and educational policies have given importance to quality improvement in school education.

Hindi: स्वतंत्रता के बाद से भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं में बहुत बड़ा परिवर्तन और विकास हुआ है। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय विकास के मार्ग को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए गए। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए स्कूली शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वतंत्रता के बाद विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की स्कूली शिक्षा के आलोक में हाल ही में अपनाई गई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 की स्कूली शिक्षा पर चर्चा करना है। इस अध्ययन में प्रयुक्त आँकड़े उपर्युक्त आयोगों और नीतियों के प्रतिवेदनों से लिए गए हैं। इनके अलावा, प्रकाशित जर्नल, लेख, शोध प्रबंध और शोध प्रबंध कार्यों से बहुत सारी जानकारी ली गई है। इस अध्ययन को संचालित करने के लिए विषयवस्तु विश्लेषण प्रयोग में लिया गया है। सभी आँकड़े द्वितीयक स्रोतों से लिए गए हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि हाल ही में एनईपी 2020 में अपनाई गई स्कूली शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक उपयुक्त उदाहरण है, जो अधिक तकनीक और व्यावसायिक उन्मुख है। एनईपी 2020 की स्कूली शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मातृभाषा को विशेष महत्व दिया गया है। सभी आयोगों और शैक्षिक नीतियों ने स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को महत्व दिया है।

Keywords: School Education, Nep 2020, National Education Policy, Education Commission, स्कूली शिक्षा, एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा आयोग

Corresponding Author

Jyoti Mathur, jyotieco07@gmail.com

DOI

[10.29121/shodhkosh.v5.i3.2024.6186](https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i3.2024.6186)

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.



1. प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद से, भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं में एक बड़ा बदलाव और विकास हुआ है। व्यक्ति और समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास के मार्ग को मजबूत करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव किए गए। स्कूली शिक्षा की भूमिका विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार विद्यार्थियों के भविष्य के शिक्षा स्तर का मार्ग प्रशस्त करता है। अन्यथा विद्यार्थी भविष्य के उच्च शिक्षा स्तर में पिछड़ जाते हैं। भारत में ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो स्कूली शिक्षा में समुचित शिक्षा के बिना भविष्य की उच्च शिक्षा से वंचित रह

जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न भारतीय शिक्षा आयोगों और शैक्षिक नीतियों ने स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को विशेष महत्व दिया है (1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 पीओए)।

सभी आयोगों और शैक्षिक नीतियों ने स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को महत्व दिया है। साथ ही, वर्तमान नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता विकसित करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। एनईपी 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जो पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर बनी है। यह नीति सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से जुड़ी है और इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज शिक्षा दोनों को अधिक समग्र, लचीला, बहु-विषयक, 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है और इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

2. सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

कुमार एट अल. (2020) ने बताया कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में भावी पीढ़ियों को बदलने के लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। उन्होंने उल्लेख किया कि एनईपी-2020 प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा तक एक व्यापक ढांचा और इंटरनेट आधारित ई-शिक्षा का एक नया प्रतिमान प्रदान करता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए पाँच संस्थापक स्तंभों जैसे पहुँच, समानता, सामर्थ्य, जवाबदेही और गुणवत्ता की पहचान की। उन्होंने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सावधानी के साथ एनईपी 2020 के विभिन्न रूपों में अंतर्दृष्टि प्रदान की और कुछ प्रमुख खामियों और निष्पादन चुनौतियों को प्रस्तुत किया जिन्हें सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

झा एवं अन्य. (2020) ने 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमियों पर टिप्पणी की। एनईपी-2020 देश का तीसरा शैक्षिक नीति दस्तावेज है, जो पिछले 34 वर्षों के अंतराल के बाद आया है।

3. शोध अंतराल

पिछले शैक्षिक आयोगों और नीतियों ने समाज के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक अच्छा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। 1986 की तुलना में अब समाज में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिसमें व्यापक सुधार, उन्नति, परिवर्तन और कई अन्य परिवर्तन जैसे प्रौद्योगिकी, व्यवसाय, शिक्षा, प्रतिस्पर्धा, नौकरी के अवसरों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण आदि के साथ 34 वर्षों का अंतर है। इस संबंध में, छम् 2020 के आलोक में भारत में स्कूली शिक्षा के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

4. अध्ययन के उद्देश्य

शोध अंतराल के आधार पर अध्ययन के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित उद्देश्य लिए गए हैं:

- 1) छम् 1968 और 1986 के स्कूली शिक्षा कार्यक्रम की छम् 2020 से तुलना करना।
- 2) स्कूली शिक्षा युग के परिवर्तन का विश्लेषण करना।
- 3) एनईपी 2020 की नवीनतम शिक्षा नीति के आलोक में विश्लेषण करना।

5. शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन केवल द्वितीयक आकड़ों के दस्तावेज़ विश्लेषण पर आधारित है। इस अध्ययन में उपयोग की जाने वाली विधि दस्तावेज़-आधारित विश्लेषण विधि है जिसमें लेख, पत्रिकाएँ, शोध प्रबंध और शोध प्रबंध जैसे द्वितीयक स्रोतों से जानकारी एकत्र की गई। अवधारणा को समझने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्रोत एनईपी 2020 पर विभिन्न लेखों को लिया गया।

6. माध्यमिक शिक्षा आयोग

भारत में स्कूली शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसका दूसरा नाम मुदालियर आयोग है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्कूली पाठ्यक्रम में छात्रों की रुचि और क्षमताओं पर जोर दिया और शिक्षा को समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने का आह्वान किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4\$4\$3 या 5\$3\$3 यानी कुल 11 साल की शिक्षा की संरचना का प्रस्ताव रखा। स्कूली शिक्षा के

पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा आयोग तकनीकी एवं व्यावसायिक विषयों को महत्व देता है, वे हैं - गणित, सामान्य विज्ञान, कृषि, सामाजिक अध्ययन, तकनीकी, शिल्प आदि। इस आयोग में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए वांछित मूल्यां, कार्य के प्रति प्रेम, यथार्थवाद, व्यक्ति आधारित शिक्षा आदि को विशेष महत्व दिया गया है।

7. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी विभिन्न सिफारिशों को “शिक्षा और राष्ट्रीय विकास” शीर्षक दिया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण दिया, जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार स्कूली शिक्षा की संरचना 10\$2\$3 है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि का सर्वांगीण विकास करना था। छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से कोठारी आयोग ने स्कूली पाठ्यक्रम में सभी विषयों को शामिल करने पर जोर दिया, वे थे - भाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा, चरित्र विकास, शिल्प और नैतिक शिक्षा। कोठारी आयोग ने प्रीप्राइमरी स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों में शिक्षा में पहले तीन भाषा सूत्र का उपयोग किया गया था।

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की। भारत सरकार ने सभी स्तरों (ग्रामीण-शहरी) के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तैयार की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की 10\$2\$3 संरचना को अपनाया। पहली शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा विशेषकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन कहा गया है। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में जिन विषयों पर चर्चा की गई, वे हैं- कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, गृह प्रबंधन, कला और शिल्प, सचिवीय प्रशिक्षण आदि। सबसे बढ़कर, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से छात्रों को भविष्य के करियर के लिए उपयुक्त बनाया जाता है।

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 और कार्ययोजना (पीओए) 1992

अगस्त 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश की शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए राज्य शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया और कहा कि “शिक्षा का समाज की उत्पादक शक्तियों के साथ जैविक संबंध है और इसे उद्योग, कृषि, संचार और हमारी अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों के साथ संरेखित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखा।” इस उद्देश्य के लिए, “शिक्षा की चुनौती - एक नीतिगत परिप्रेक्ष्य” नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और बाद में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि देश के लिए एक शिक्षा संरचना 10\$2\$3 होगी। पहले 10 वर्षों में, 5 साल प्राथमिक शिक्षा, 3 साल उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 साल माध्यमिक शिक्षा।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के उन 2 वर्षों के बाद 3 साल तक चलने वाली स्नातक या कॉलेज स्तर की शिक्षा होती है। यह सार्वभौमिक पहुँच, नामांकन, प्रतिधारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बाल-केंद्रित दृष्टिकोण, गतिविधि-आधारित शिक्षा, अभ्यास द्वारा कौशल में सुधार, नो डिटेंशन पॉलिसी, शारीरिक दंड का बहिष्कार, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और स्कूल छोड़ने वालों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (मेहरोत्रा, रमन एट अल. 2014) पर जोर देते हुए प्रारंभिक शिक्षा के नए जोर का सुझाव देता है।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल विषय हैं - विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, साक्षरता और मानव मूल्य और संस्कृति। साथ ही, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा में कुछ विषयों को अनिवार्य किया गया है, जैसे पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा, और योग जैसे पारंपरिक घटक को शामिल करना (पात्रा और मेटे 2014)। छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए भारतीय माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक निर्देश पर जोर दिया जाता है ताकि वे भविष्य के जीवन में अपनी पसंद का करियर चुन सकें (अग्रवाल और अग्रवाल 2017)। इसके अलावा, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से महत्वपूर्ण पहलू है - समानता के लिए शिक्षा (एसटी, एससी, ओबीसी, महिला और वयस्क शिक्षा)। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1990 में राममूर्ति समिति और 1991 में जनार्दन रेड्डी समिति की सिफारिशों पर 1992 में संशोधित किया गया और इसे कार्य योजना (पीओए) नाम दिया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओबीबी), न्यूनतम सीखने के स्तर (एमएलएल) में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा, आधुनिक पाठ्यक्रम, नवोदय विद्यालय और कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया गया।

10. नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020)

शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीतियों को पेश करते हुए कई उपाय किए हैं। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 पेश की गई, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यह नीति 1986 की शिक्षा नीति का प्रतिस्थापन है। नई शिक्षा नीति 2020 छात्रों के समग्र विकास पर जोर देती है। एनईपी 2020 शिक्षा क्षेत्र में समानता, गुणवत्ता और ठोस बुनियादी शिक्षा लाने के लिए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती है। वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों के अनुसार, शिक्षा लचीली, बहु-विषयक हो गई है। एनईपी 2020 प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) और उच्च शिक्षा खंडों को महत्व देती है। नई शिक्षा नीति में विभिन्न शैक्षिक चरण हैं, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के लिए एक ठोस आधार पर जोर दिया गया है, जिसकी संरचना 5\$3\$3\$4 है। इसमें मौलिक चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य विद्यालय चरण और माध्यमिक चरण शामिल हैं (हरिकुमार, पल्लथडका एट अल. 2021)।

एनईपी-2020 को देश की व्यापक और गहरी ऐतिहासिक विरासत और विभिन्न विषयों में कई विद्वानों के योगदान को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जो स्कूल और उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा दोनों स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाली बहु-विषयक उदार शिक्षा के निर्माण की आधारशिला है। इसका उद्देश्य मौजूदा शिक्षा नीतियों और शासन प्रणालियों में प्रत्येक हितधारक में जवाबदेही लाकर आमूलचूल परिवर्तन करके स्कूली शिक्षा नामांकन और उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा नामांकन के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 28% और 05% से बढ़ाकर 2030 तक क्रमशः 50% और 20% करना है (पी.एस. ऐथल और शुभ्रज्योत्सना ऐथल 2020)। इस रणनीति में स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10\$2 ढांचे को 3-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नए 5\$3\$3\$4 शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन के साथ बदलने का प्रस्ताव है (कौर, रैना 2020)। 3 वर्ष की आयु से म्बम् को भी नए 5\$3\$3\$4 ढांचे में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के लिए समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण में सुधार करना है (सिराज-ब्लैचफोर्ड, मोगरेबन एट अल. 2016)।

एनईपी 2020 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना फाउंडेशनल स्टेज (तीन साल की आंगनवाड़ी / प्री-स्कूल और दो साल की प्राथमिक स्कूल कक्षा 1-2 में, दोनों मिलकर 3-8 वर्ष की आयु को कवर करती हैं), प्रारंभिक चरण (कक्षा 3-5, 8-11 वर्ष की आयु को कवर करती हैं), मध्य चरण (कक्षा 6-8, 11-14 वर्ष की आयु को कवर करती हैं), और माध्यमिक चरण (कक्षा 9-12, 13-16 वर्ष की आयु को कवर करती हैं)। (कक्षा 9-12 दो चरणों में, यानी पहले चरण में 9 और 10 और दूसरे चरण में 11 और 12, 14-18 वर्ष की आयु को कवर करती हैं) (गोविंदा 2020)।

1) फाउंडेशनल स्टेज (5 वर्ष)

फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष की अवधि है, जहाँ बच्चों को 3 वर्ष प्रीस्कूल शिक्षा और 2 वर्ष स्कूली शिक्षा मिलती है। इसमें वर्णमाला, भाषा, रंग, आकार, इनडोर और आउटडोर खेल, पहलियाँ और अन्य दृश्य कलाएँ, शिल्प, रंगमंच और कठपुतली, संगीत और अन्य चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें बच्चे सीख सकते हैं। इस चरण में सामाजिक कौशल, संवेदनशीलता, अच्छा व्यवहार, सभ्यता, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, सहयोग और सहकारिता के विकास पर भी जोर दिया जाता है। म्बम् का मुख्य उद्देश्य बाल छात्रों के सर्वोत्तम संभव शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक, सांस्कृतिक और कलात्मक कौशल सुनिश्चित करना है। छब्बत्ज् प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (छब्बत्ज्) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रूपरेखा तैयार करेगा।

2) प्रारंभिक चरण (3 वर्ष)

इसमें 3 वर्ष की अध्ययन अवधि शामिल है। इसमें कक्षा 3, 4 और 5 को शामिल किया गया है। यहाँ बच्चे खेल-खेल में और गतिविधि-आधारित शिक्षा के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ शामिल आयु 8 से 11 वर्ष है (डोलप्रिया देवी मनोहरमयुम एट अल. 2021) इस कार्यक्रम में खेल, खोज और गतिविधि-आधारित शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम पर आधारित तीन साल की शिक्षा भी शामिल है, जो पढ़ने और लिखने के साथ-साथ लोगों के सामने बात करने और सार्वजनिक रूप से बोलने सहित कई विषयों में एक मजबूत नींव रखने के लिए है। इसमें खेल, खोज और गतिविधि-आधारित शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम पर आधारित तीन साल की शिक्षा भी शामिल है (डेविस 2003)।

3) मध्य चरण (3 वर्ष)

मध्य चरण 3 साल की अध्ययन अवधि है: 6वीं कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा। इस चरण में अमूर्त अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। इस समय बच्चे 11 से 14 वर्ष के होंगे। यहाँ सीखने के लिए अनुभवात्मक पद्धति का उपयोग किया जाता है। साथ ही, इस चरण में जिन चीजों पर जोर दिया जाता है, वे हैं - बहु-विषयक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच, त्रि-भाषा सूत्र और बहुभाषावाद। पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र को भारतीय और क्षेत्रीय संदर्भ को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीएफएसई (स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा) का एक नया संस्करण हर पांच से दस साल में विकसित किया जाएगा। स्कूलों में परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) स्थापित करने की योजना है।

4) माध्यमिक चरण (4 वर्ष)

माध्यमिक विद्यालय चरण 4 वर्ष की अध्ययन अवधि है: 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा। माध्यमिक विद्यालय चरण में बहुविषयक विषयों पर जोर दिया जाता है और शिक्षार्थी को अगले चरण के लिए तैयार किया जाता है। इस चरण में, छात्र की पसंद के अनुसार शिक्षण को गहराई से बढ़ाया जाएगा और लचीला बनाया जाएगा। यहाँ 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी।

स्कूली शिक्षा प्रणाली की विभिन्न शिक्षा नीतियों से तुलना स्कूली शिक्षा प्रणाली में बदलाव का मतलब है स्कूली शिक्षा प्रणाली की संरचना में बदलाव। पिछली या पुरानी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संरचना 10\$2 थी, और वर्तमान में स्कूली शिक्षा प्रणाली की संरचना 5\$3\$3\$4 है। यह कहा जा सकता है कि पुरानी स्कूली शिक्षा प्रणाली में बच्चे के लिए प्रीस्कूल शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन अब प्रीस्कूल शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने प्रीस्कूल शिक्षा में बच्चों की भागीदारी को अनिवार्य कर दिया है। पिछली स्कूली शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा 6 वर्ष की आयु से शुरू होती थी। 10\$2 स्कूली शिक्षा संरचना के अनुसार, बच्चे 6 वर्ष की आयु से अपनी शिक्षा शुरू करते हैं, और 16 वर्ष की आयु तक वे 10वीं कक्षा या माध्यमिक शिक्षा पूरी करते हैं, और \$2 वर्ष में वे अपनी 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी करते हैं। यानी 18 वर्ष की आयु में वे अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी कर चुके होंगे। नई स्कूली शिक्षा प्रणाली में 3 वर्ष की आयु से शिक्षा शुरू होगी। 5\$3\$3\$4 की नई शिक्षा संरचना के अनुसार, बच्चे 3 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा शुरू करेंगे और 8 वर्ष की आयु में वे आधारभूत चरण पूरा करेंगे, 11 वर्ष की आयु में वे प्रारंभिक चरण की शिक्षा पूरी करेंगे और 14 वर्ष की आयु में वे मध्य चरण की शिक्षा पूरी करेंगे और 18 वर्ष की आयु में वे माध्यमिक चरण की शिक्षा पूरी करेंगे।

11. निष्कर्ष

भारत एक विकासशील देश है। इस विकासशील देश की शिक्षा व्यवस्था में भी स्कूली शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा आयोगों एवं शैक्षिक नीतियों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि बच्चों की औपचारिक शिक्षा स्कूली शिक्षा से ही प्रारम्भ होती है। यदि स्कूली स्तर पर ही विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा प्रदान की जाए, तो विद्यार्थी भावी स्तर अर्थात् उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वर्ष 2023 तक विश्व के विकासशील देशों में विशिष्ट स्थान दिलाने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं को महत्व दिया गया है तथा इसे सभी के लिए लचीला बनाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सभी नए पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है, यदि उन सभी पहलुओं को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जा सके, तो शायद हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाल ही में छम्चू 2020 ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पिछले शिक्षा आयोगों और शिक्षा नीतियों से स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया है। भारतीय स्कूली शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए, हमें सैद्धांतिक ढांचे के प्रकाश में पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के संदर्भ में अधिक आलोचनात्मक होना चाहिए। इसके अलावा, यह कहा जा सकता है कि स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र बच्चे के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल, टी. एवं अग्रवाल, ए. (2017). भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण: एक श्रम बाजार परिप्रेक्ष्य, *जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग*, 69 (2) : 246-265।
- ऐथल, पी.एस. एवं ऐथल, शुभ्रज्योत्सना. (2020) भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण।
- डेविस, के.एस. (2003). बदलाव कठिन है: विज्ञान शिक्षक हमें सुधार और नवीन प्रथाओं के बारे में शिक्षक सीखने के बारे में क्या बता रहे हैं। *विज्ञान शिक्षा*, 87(1) : 3-30।
- गोविंदा, आर. (2020). एनईपी 2020: एक महत्वपूर्ण परीक्षा, सेज प्रकाशन: नई दिल्ली, भारत।
- हरिकुमार, एच., मनोहरमयुम, डी.डी., पल्लथडका, एल.के. एवं मक्की, वी.आर. (2021). भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा - एक केस स्टडी. *जर्नल ऑफ कंटेम्पररी इश्यूज इन बिजनेस एंड गवर्नमेंट*, 27, 265-271।
- झा, पी. एवं पार्वती, पी. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020. बैंकों में शासन, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 55(34), 14-17।
- कुमार, के., प्रकाश, ए. एवं सिंह, के. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में भावी पीढ़ी को बदलने के लिए एक मार्गदर्शक कैसे हो सकती है. *जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स*, 20(4), ई 2500।
- मेहरोत्रा, एस. के., रमन, के. आर. एवं कुमरा, एन. (2014). व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण भारत में सुधार: देश और विदेश में अच्छी प्रथाओं से सीखना, *इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनेजमेंट रिसर्च, योजना आयोग, भारत सरकार*।
- मोहंत, एम. टी. (2022). भारत की स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के संदर्भ में गुणात्मक परिवर्तन लाना: एनईपी 2020 का संदर्भ. *इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस*, 04(04/अप्रैल-2022), 2376-2380।
- पात्रा, जे. एन. एवं मेटे जे. (2014). भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में आईसीटी की भूमिका. *इंटरनेशनल एजुकेशनल ई-जर्नल*, 3(2) : 2277-2456।
- सचिन, एम., एवं सखारे, जे. (2020). एनईपी 2020 : एनईपी की विशेषताएं और शिक्षक की भूमिका. *एजुकेशनल रिसर्च जर्नल*, 2(3), 36-42।

- सरोहा, एस. के. एवं आनंद, यू. (2020). नई निर्देश प्रक्रिया 2020 की मुख्य विशेषताएं: स्कूल और उन्नत शिक्षा में विशाल आंदोलन. आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, 25(8), 59-62।
- सिद्दीकी, एम. एफ. एवं अहमद, डी. एस. (2022). भारत में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा की बदलती लहर: एनईपी 2020 नीति परिप्रेक्ष्य, बायन कॉलेज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 02(02), 18-25।
- सुंदरम, डी. के. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक तुलनात्मक अध्ययन, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑन एडवांस्ड साइंस हब, 02(10एस), 127-131।